

To be published in the Gazette
of India Part II Section 3 Sub Sec (i)
and the State Gazette of Andhra Pradesh,
Odisha, Sikkim, Bihar, Gujarat,
Madhya Pradesh, Maharashtra,
Mizoram, Uttar Pradesh, Tamil Nadu,
West Bengal, Arunachal Pradesh & Himachal Pradesh.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 576/Exit/2014/SDR-Vol.I

Dated: 3rd April, 2014
13, Chaitra 1936 (Saka)

NOTIFICATION


Whereas, the schedules for the General Elections to the House of the People, 2014 and the State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim 2014 and bye-elections in the State Legislative Assemblies of Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal- were announced by the Commission vide Press Notes bearing No. ECI/PN/10/2014, dated 5th March, 2014. No. ECI/PN/13/2014 dated 10th March, 2014 & No. ECI/PN/17/2014 27th March, 2014;

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 AM on 07th April 2014 (Monday) and 06.30 PM on 12th May, 2014 (Monday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the House of the People, 2014 and the State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim 2014 and bye-elections from assembly constituencies in the State Legislative Assemblies of Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal to be held simultaneously with the general election to Lok Sabha shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in connection with aforesaid General elections and by-elections.

By order,



(Ashish Chakraborty)
Secretary

भारत के राजपत्र के भाग-II

खण्ड 3, उपखण्ड (i) तथा

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम,

बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,

मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु,

पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और

हिमाचल प्रदेश राज्यों के शासकीय

राजपत्र में प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

संख्या 576/एक्जिट/2014/एस.डी.आर.-खण्ड-I

तारीख- 3 अप्रैल, 2014

13 चैत्र, 1936 (शक)

अधिसूचना

यतः, लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम के विधान सभा-2014 के साधारण निर्वाचनों और बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा आयोग की दिनांक 05 मार्च, 2014, के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/10/13/2014; 10 मार्च, 2014 के सं.ईसीआई/पीएन/13/2014 और 27 मार्च, 2014 के सं.ईसीआई/पीएन/10/17/2014 के द्वारा कर दी गई थी ;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा, 07 अप्रैल, 2014 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे तथा 12 मई, 2014 (सोमवार) को अपराह्न 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान लोकसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम-2014 की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचनों, जो कि लोकसभा साधारण निर्वाचनों के साथ-साथ आयोजित होंगे, के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा ।

आदेश से,

आशीष चक्रवर्ती

(आशीष चक्रवर्ती)

सचिव